न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला भीलवाडा
पीठासीन अधिकारी– श्री के0आर0 खोड़ आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
31/2016/प्रार्थना पत्र	08.02.2016	23.06.2017

उनवान

खाना पिता नाथू कुमावत निवासी नया तालाब तह0 शाहपुरा
– प्रार्थी

बनाम

1–2 लादू, सुवा पिता सुरजमल कुमावत नि0 सुरजपुरा तह0 शाहपुरा
3–बालू पिता लादू कुमावत निवासी सुरजपुरा तह0 शाहपुरा
– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा– 251 (क) आर0टी0ए0

उपस्थित :– 1. श्री त्रिलोकचंद नौलखा : अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है, प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बिलीया तहसील शाहपुरा मे स्थित होकर विवरण निम्न प्रकार है

आ0नं0	रकबा
305	0.35है0
307	0.08है0
308	0.30है0
कुल किता 3	0.78 है0

उपरोक्त आराजी पर प्रार्थी कई वर्षो से फसल काश्त करता चला आ रहा है व सम्पूर्ण भूमि प्रार्थी के ही उपयोग उपभोग मे चली आ रही है। प्रार्थी की आराजीयात के बदिशा दक्षिण की ओर शाहपुरा से खामोर जाने वाली सडक के उत्तर की ओर आराजी नं0 318, 317,316 व आराजी नं0 309 ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बिलीयॉ की सरहद में स्थित है। आम सडक से उत्तर की ओर ग्राम शम्भुपुरा पटवार हल्का रूपपुरा की आराजी नं0 464, 456,455आ. चा. व 454 विपक्षीगण नं0 1 व 2 के खातेदारी अधिकार की व आराजी नं0 463 उगमा पिता घीसा कुमावत के खातेदारी अधिकार की है। ग्राम सुरजपुरा व शम्भुपुरा की आराजीयात के बीच आराजी नं0 455 आचा तक मोके पर रास्ता स्थित है। उक्त रास्ते से 20 फिट की दूरी पर प्रार्थी की आराजीयात स्थित है। प्रार्थी अपनी आराजीयात पर आराजी नं0 309 व आराजी नं0 455, 454 के बीच से होता हुआ अपनी आराजीयात से कृषि उपकरण लाता ले जाता रहा है। इसके अलावा प्रार्थी की आराजीयात पर जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नही है। विपक्षीगण उक्त 20 फिट की दूरी के रास्ते का उपयोग जानबूझ कर प्रार्थी को नही करने देना चाहते है। प्रार्थी आराजी नं0 309 व 455 व 454 के बीच स्थित 10 फिट की चौडाई व 20 फिट लम्बाई के रास्तें की प्रार्थी को आवश्यकता है। प्रार्थी उक्त भूमि की डीएलसी दर से राशि अदा करने को तैयार है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे व राजस्व रेकार्ड में रास्ता दर्ज किया जावे।

d
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

दिनांक 8.03.2016 को विपक्षी नं0 1 लादू की ओर से श्री आशीष पालीवाल वकील ने अपना अधिकार पत्र पेश किया। विपक्षी सं0 03 जो उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई एवं विपक्षी सं0 2 के विरूद्ध भी दिनांक 10–04–2017 को एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 25–04–2017 को अभिभाषक विपक्षी द्वारा हिदायत पैरवी नही करने से उनका जवाब बंद किया जाकर प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करते हुये प्रकरण अंतिम बहस के लिये नियत किया गया। दिनांक 23–06–2017 को प्रकरण राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार अभियान 2017 अटल सेवा केन्द्र बिलीयॉ पर पेश हुआ। प्रार्थी उपस्थित होने से सुना गया। प्रकरण एवं प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बिलीयॉ के खाता सं0 25 जमाबंदी 2069–72 अनुसार प्रार्थी आ0नं0 305,307व 308 कुल किता 3 रकबा 0.71 है0 का खातेदार दर्ज रेकार्ड है। प्रार्थी अपनी आराजीयात में जाने हेतु आराजी नं0 309,454 व 455 में होकर आने जाने हेतु 10 फिट चौडा व 20 फिट लम्बा रास्ता चाहता है। जिसका नक्शा प्रस्तुत किया है। यह आराजी ग्राम सुरजपुरा के सीमा से लगा हुआ ग्राम शम्भुपरा प0ह0रूपपुरा की है जो विपक्षीगण सं0 1 व 2 के नाम दर्ज रेकार्ड है। रास्ता उपलब्ध कराये जाने हेतु मोका एवं राजस्व रेकार्ड की जांच तहसीलदार शाहपुरा से करवाई गई। पत्रावली में संलग्न मोका पर्चा अनुसार प्रार्थी की आराजीयात में आने जाने हेतु आराजी नं0 318, 317, 316 तक रास्ता खुला हुआ हैं किन्तु आराजी नं0 309 जिसका खातेदार महावीर पिता देवकरण चमार निवासी सुरजपुरा होकर इस रास्तें को विपक्षीगण सं0 1 व 2 लादू सुवा पिता सुरजमल कुमावत द्वारा अतिक्रमण कर बंद कर दिया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) रा0टी0ए0 विरूद्व विपक्षीगण के आंशिक स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम सुरजपुरा पटवार हल्का बिलीयॉ तहसील शाहपुरा मे स्थित आ0न0 309 रकबा 0.37 है0 जो महावीर पिता देवकरण बलाई वगैरा निवासी सुरजपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसमें से प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि आराजी नं0 305, 307 व 308 में जाने हेतु रास्तें को विपक्षीगण सं0 1 व 2 द्वारा बंद कर दिया गया है को खुलासा किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 23.06.2017 को केम्प बिलिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (भीलवाड़ा)

(के0आर0 खौड़)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, शाहपुरा (भीलवाडा)
शाहपुरा (भीलवाड़ा)